

# पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)

मौसम - खरीफ 2022

सुरक्षित कृषक, राष्ट्र का गौरव

## उद्देश्य:

1. प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना।
2. कृषि में उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना।
3. आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।

**पात्र कृषक:** अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)



राम सरन वर्मा

यह राज्य के चुनिंदा किसानों में एक है, जिन्होंने 1988 में केले की खेती में टिश्यू कल्चर की शुरुआत करी और 1 केएड खेत में 400 क्विंटल केले उगाए। मिट्टी के कटाव को कम करने, उसकी उर्वरता बढ़ाने और उपज बढ़ाने के लिए, इन्होंने फसल चक्र को अपनाया। आज भी इनके तरीकों से, पड़ोसी जिलों के 50,000 से अधिक किसानों को फायदा मिल रहा है। ये देश में और बाहर के किसानों के लिए प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाओं का भी आयोजन करते हैं। कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए, इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।

## बीमा कहाँ करायें



बैंक शाखा




www.pmfby.gov.in



जन सेवा केंद्र



बीमा कार्यालय



## बीमा से आच्छादित जोखिम एवं क्षतिपूर्ति का आंकलन

### बीमा से आच्छादित जोखिम

- कम वर्षा
- बे-मौसम/अधिक वर्षा
- लगातार सूखे दिन
- कम/अधिक तापमान
- आर्द्रता तेज हवा

### फसलों की क्षति का आंकलन

- बीमित फसल की बुआई से पटाई की समयावधि (बीमा अवधि) के महत्वपूर्ण चरणों में फसल हेतु निर्धारित की गयी मौसमीय स्थितियों एवं मौसम की वास्तविक स्थिति में अन्तर के अनुरूप फसल की सम्भावित/जोखिम अवधि क्षति के दृष्टिगत फसलवार स्वीकृत टर्म-शीट में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर क्षति का आंकलन।

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

फसल नुकसान के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु

1800 266 0700  
1800 889 6868

बैंक शाखा



कृषि विभाग



क्राफ इन्श्योरेंस ऐप

कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के

PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in) कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड



# पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2022 के अन्तर्गतजनपद/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)

(खरीफ 2022 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर केला, मिर्च, पान – बीमित राशि का 5%)

मौसम	खरीफ 2022	फसल		
		केला	मिर्च	पान
जिला				
गाजीपुर	बीमित राशि ₹	1,50,000	50,000	-----
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	7,500	2,500	-----
ललितपुर	बीमित राशि ₹	-----	-----	10,00,000
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	-----	-----	50,000
मिर्जापुर	बीमित राशि ₹	-----	50,000	-----
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	-----	2,500	-----
वाराणसी	बीमित राशि ₹	-----	50,000	-----
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	-----	2,500	-----



pmfby.up@hdfcergo.com



<https://pmfby.gov.in/farmer>